पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2346
दिनांक-22.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मलिहाबाद

ब्लाइंड मर्डर की घटना का किया गया सफल अनावरण।

- **ओला ड्राइवर की हत्या के मामले का सफल अनावरण; 03 शातिर हत्यारोपी गिरफ्तार, एक फरार।**
- **कब्जे से 01 अदद देशी पिस्टल .32 बोर, 04 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस एवं लूटा गया मोबाइल फोन(मृतक का) बरामद।**
- **थाना मलिहाबाद, क्राइम/सर्विलांस टीम(डीसीपी उत्तरी) की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही।

थाना मलिहाबाद लखनऊ पुलिस ने थाना मलिहाबाद क्षेत्र के एक ओला ड्राइवर की हत्या एवं उसके शव को छुपाने के घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इस मामले में **03** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक आरोपी फरार है। घटना में प्रयुक्त हथियार व मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **21.08.2025** को श्री रामचन्द्र यादव (निवासी ग्राम टिकरीखुर्द, थाना मलिहाबाद) ने अपने **35** वर्षीय पुत्र सर्वेश यादव (एक ओला ड्राइवर) के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाना मलिहाबाद पर दर्ज कराई थी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक **20** अगस्त**, 2025** को शाम लगभग **04:00** बजे**,** सर्वेश यादव ने हरजतगंज क्षेत्र से इन्दिरा डैम के लिए चार युवकों (अभियुक्तों) की राइड स्वीकार की। तीन युवकों ने उनकी कार (वैगनर**,** नंबर- **UP32 HN 2330)** में बैठे जबकि चौथा अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से पीछे आया।

जांच में पाया गया कि दिनांक **20.08.2025** को सर्वेश यादव ने इन्दिरा डैम से चिनहट के लिए चार युवकों की राइड स्वीकार की। उन्होंने अपनी वैगनर कार (नंबर **UP32 HN 2330)** रोड के किनारे खड़ी कर रखी थी। लगभग शाम **04:00** बजे**,** तीन युवक कार के अंदर बैठ गए जबकि चौथा युवक (अखिल यादव) अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से पीछे-पीछे आने लगा। रास्ते में**,** कार में बैठे तीन आरोपियों ने ड्राइवर सर्वेश यादव को लूटने के इरादे से उसके सिर में देशी पिस्टल से गोली मार दी**,** जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपियों ने उसका रूपया और मोबाइल फोन लूट लिया।

इसके बाद**,** शाम लगभग **07:00** बजे सभी चारों आरोपी घटनास्थल पर वापस लौटे। उन्होंने शव को छुपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को कार की पिछली सीट पर रखा और करीब **8** किलोमीटर दूर**,** बाराबंकी जनपद के थाना देवा क्षेत्र के किसान पथ के पास स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। वाहन को देवा रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज के गेट के बाहर तेल खत्म होने का बहाना करके छोड़कर सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए।

सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा सर्वेश यादव उपरोक्त व उनकी गायब हूये मोबाइल की आईएमआई को ट्रेस करने के क्रम में आईएमआई नं0 से एक मोबाइल नं0 रन होने की जानकारी हुयी, जिसके बाद गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों, भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी जोड़ते हुये आरोपियों तक पहुंची । घटना में शामिल आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. **सौरभ यादव उर्फ शेरसिंह उर्फ शेरा (25 वर्ष),** पुत्र रामू सिंह, निवासी ग्राम कंचनपुर मटियारी, थाना चिनहट, लखनऊ।
2. **विजय यादव (22 वर्ष),** पुत्र मन्ना यादव, निवासी ग्राम कंचनपुर मटियारी, थाना चिनहट, लखनऊ। (टेल्को कंपनी में मजदूर)
3. **अखिल यादव,** पुत्र संदीप यादव, निवासी ग्राम कंचनपुर मटियारी, थाना चिनहट, लखनऊ। (मजदूर)

04-फरार अभियुक्त:

- **अरविन्द सिंह उर्फ काल्लू,** पुत्र उदय प्रताप सिंह, निवासी जनपद सीतापुर (वर्तमान ठिकाना: झालबिहारी, चिनहट, लखनऊ)।

05-अपराध का उद्देश्य:-

➢ तेजी से धन कमाना और खर्च करना ।

06-पंजीकृत/अनावरित अभियोग

पंजीकृत गुमशुदगी संख्या 34/25 दिनांक 21.08.2025 परिवर्तित पंजीकृत मु०अ०सं०-211/2025 धारा 309(6)/101/238/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम

07-बरामदगी:

- अभियुक्त सौरभ यादव (शेरा) की निशानदेही पर उसके निवास स्थान से एक देशी पिस्टल (**0.32** बोर)**, 04** खोखा कारतूस और **01** जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
- मृतक सर्वेश यादव का मोबाइल फोन बरामद किया गया।
- अभियुक्तों की निशानदेही पर थाना देवा क्षेत्र**,** किसान पथ के किनारे झाड़ियों से मृतक सर्वेश यादव का क्षत-विक्षत शव/कंकाल बरामद हुआ। परिजनों ने कपड़ों और गले के धागे के आधार पर शव की पहचान की। मौके पर थाना देवा पुलिस व फील्ड यूनिट टीम द्वारा पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की गई।

08-कानूनी कार्रवाई:

मूल रूप से दर्ज गुमशुदगी केस (संख्या 34/25) को थाना मलिहाबाद पर मुकदमा संख्या 211/2025 के तहत दंड संहिता (BNS) की धारा 309(6), 103(1), 238 (मानव विरहित मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाना या छिपाना) और 3(5) (सामूहिक अपराध) तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फरार अभियुक्त की तलाश जारी है।

09-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

किसान पथ, बबुलिया गांव जाने वाले कट से **500मी0** दक्षिण**,** दिनांक **21.09.2025** को

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

थाना मलिहाबाद

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भाटी
2. वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री संजय यादव
3. उपनिरीक्षक श्री राहुल तिवारी
4. उपनिरीक्षक श्री अमन श्रीवास्तव
5. उपनिरीक्षक श्री दीपक कुमार
6. उपनिरीक्षक श्री अश्वनी सिंह
7. उप निरीक्षक श्री विवेक कुमार
8. कांस्टेबल श्री उत्तम राठी
9. कांस्टेबल श्री मुकेश कुमार
10. हेड कांस्टेबल/चालक श्री मनोज कुमार

सर्विलांस/स्वाट टीम उत्तरी जोन:

1. हेड कांस्टेबल श्री नदीम
2. हेड कांस्टेबल श्री अवधेश गिरी
3. हेड कांस्टेबल श्री अमित कुमार
4. हेड कांस्टेबल श्री संतोष
5. कांस्टेबल श्री विशेष दूहुण
6. कांस्टेबल श्री राघवेंद्र सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2345
दिनांक 22.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- नगराम

- **ब्लाइन्ड मर्डर केस का किया गया सफल अनावरण।**
- **हत्या करने वाले रिश्ते के मामा, मृतक की पत्नी एवं एक अन्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **आलाकत्ल गमछा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की गयी बरामद।**
- **थाना नगराम एवं सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाहीः-

थाना नगराम, सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्त/अभियुक्ता **01.बसंतलाल (मृतक के मामा)** पुत्र सिद्धनाथ निवासी ग्राम बहादुरखेड़ा उफरापुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 42 वर्ष **02.केतार** पुत्र रामकिशुन निवासी करदहा थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष **03.मीरा (मृतक की पत्नी)** पत्नी स्व0 रामफेर निवासिनी ग्राम छतौनी थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद काला गमछा, बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल UP33CA4946 (घटना में प्रयुक्त) बरामद करते हुए थाना नगराम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 103(1) बीएनएस बढोत्तरी 61(2)/3(5)/238 बीएनएस थाना नगराम लखनऊ में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का विवरणः-

- दिनांक 19.09.2025 को थाना नगराम क्षेत्रान्तर्गत सलेमपुर के पास नाले में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना नगराम पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराते हुए शव को बाहर निकलवाया गया। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक की पहचान **रामफेर पुत्र स्व0 रामेश्वर** निवासी छतौनी थाना नगराम उम्र करीब-35 वर्ष के रूप में हुई। दिनांक 21.09.2025 को मृतक रामफेर के भाई सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 रामेश्वर की तहरीर के आधार पर थाना नगराम पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन को भी लगाया गया। इन टीमो द्वारा मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण म को गिरफ्तार किया गया।

03-पूछताछ विवरण-

अभियुक्त बंसतलाल (मृतक के रिश्ते का मामा) से पूछताछ किये जाने पर ज्ञात हुआ कि वह मृतक रामफेर के घर के बगल अपनी एक दीदी के घर आता जाता था वहीं इसकी मुलाकात रामफेर की पत्नी मीरा से हुयी और दोनो में प्रेम सम्बन्ध हो गये । रामफेर शराब के नशे का आदी था तथा शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी मीरा को काफी मारता पीटता था, जिस कारण मीरा के साथ मिलकर रामफेर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई । दिनांक 18.09.2025 को गांव में भजन कीर्तन था जिसके कारण सभी लोग वहाँ व्यस्त थे इसी मौके फायदा इसने अपने गांव से थोड़ी दूर करदहा गांव के रहने वाले केतार बेडिया जो उसके साथ बाजा बजाने का काम भी करता है के साथ मिलकर रामफेर को खत्म करने की योजना बनाई । उसी दिन शाम को रामफेर को फोन करके शराब पीने के बहाने से बुलाकर इन्दिरा नहर से वापस छतौनी ग्राम जाने वाले रास्ते के पास ले जाकर शराब पिलाया । रामफेर के नशे मे हो जाने पर केतार के गमछे से दोनो ने मिलकर रामफेर का गला कस दिया जब वह हिलना डुलना बंद कर दिया जिसके बाद **शव को दुर्घटना दिखाने हेतु पास में नाले के पानी में डाल दिया** । हत्या में प्रयुक्त गमछे को अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया । मृतक रामफेर के मोबाईल के बारे में बसंतलाल से पूछने पर बताया कि साहब मृतक रामफेर का मोबाईल मैने ले रखा था हत्या के बाद वापस घर जाते वक्त इन्दिरा नहर के किनारे झाडियो में फेक दिया था जिसकी तलाश की जा रही है । **पुलिस को गुमराह के उद्देश्य से मृतका की पत्नी गांव के ही विपक्षी जिनके द्वारा पूर्व में मृतक रामफेर व मृतक के भाईयो के विरूद्द मुकदमा लिखाया गया था के विरूद्ध हत्या कर देने का आरोप लगा तहरीर दी गयी थी ।** अभियुक्तो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

01. बसंतलाल पुत्र सिद्धनाथ निवासी ग्राम बहादुरखेड़ा उफरापुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 42 वर्ष

02. केतार पुत्र रामकिशुन निवासी करदहा थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

03. मीरा (मृतक की पत्नी) पत्नी स्व0 रामफेर निवासिनी ग्राम छतौनी थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष ।

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 206/2025 धारा 103(1) बीएनएस बढोत्तरी 61(2)/3(5)/238 बीएनएस थाना नगराम लखनऊ।

06-बरामदगी:-

1. 01 अदद काला गमछा (आला कत्ल)
2. बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल UP33CA4946 (घटना में प्रयुक्त)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नगराम, सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन की संयुक्त पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ ।

नोट-

श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2249
दिनांक- 22.09.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.09.2025 को वारण्टी बलराम रावत पुत्र स्व0 गयादीन रावत निवासी सभाखेड़ा मजरा कल्ली पश्चिम पीजीआई लखनऊ उम्र 25 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 298/2021मु0अ0स0 90/2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ जो काफी दिनो से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होकर काफी दिनो से फरार चल रहा था।

जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के आधार पर उ0नि0 श्री हिमांचल सिंह द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बलराम रावत पुत्र स्व0 गयादीन रावत निवासी सभाखेड़ा मजरा कल्ली पश्चिम पीजीआई लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

1. वाद सं0 298/2021मु0अ0स0 90/2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2347
दिनांक-22.09.2025

जोन- पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 अभियुक्तों को ठाकुरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22/09/2025 को थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर आरोपीगण के द्वारा लड़ाई झगड़ा करते हुए शांति व्यवस्था भंग की गई। थाना स्थानीय को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर अभि0गण का चालान कर मा0 न्यायालय में पेश किया गया।

प्रथम प्रकरण में---

आरोपीगण-प्रथम पक्ष-कृष्णजीत पाण्डे पुत्र स्व0 मुन्नु लाल पाण्डे नि0 ग्राम नौबतगंज जगतनगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव हात पता कन्हैया माधोपुर फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 38 वर्ष व दिलीप गुप्ता पुत्र राम आसरे गुप्ता नि0-हिया बेंहदर थाना काशिमपुर जनपद हरदोई हाल पता कन्हैया माधोपुर फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष आपसी वाद विवाद को लेकर पड़ोसी के साथ लड़ झगड़ कर शांति व्यवस्था कर रहे थे। पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय प्रकरण में---

आरोपी-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व यदुनंदन प्रसाद निवासी रस्तोगी नगर बालागजं थाना ठाकुरगंज उम्र करीब 50 वर्ष के द्वारा वादी के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दि0 15/09/2025 को मु0अ0सं0-552/2025 धारा-191(2)115(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस पंजीकृत है।

03-कार्यवाही का विवरण-

लड़ाई झगड़ा करने पर चालान अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01-कृष्णजीत पाण्डे पुत्र स्व0 मुन्नु लाल पाण्डे नि0 ग्राम नौबतगंज जगतनगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव हात पता कन्हैया माधोपुर फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 38 वर्ष।

02-दिलीप गुप्ता पुत्र राम आसरे गुप्ता नि0-हिया बेंहदर थाना काशिमपुर जनपद हरदोई हाल पता कन्हैया माधोपुर फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष।

03-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व यदुनंदन प्रसाद निवासी रस्तोगी नगर बालागजं थाना ठाकुरगंज उम्र करीब 50 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री दीपक कुमार राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- उ0नि0 श्री कुलदीप वर्मा थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 अंकज यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 अंकित पूनिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2348
दिनांक-22.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को ठाकुरगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ महोदय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र वाद मु0अ0सं0-283/2021 धारा- 415/411/413/420 आईपीसी से सम्बन्धित द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष को 06.45 बजे घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/वारण्टी को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-नाम पता वारण्टी–

राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष।

03-कार्यवाही का विवरण-

वाद सं0-293/23, मु0अ0सं0-283/2021 धारा 415/411/413/420 आईपीसी में माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी की गिरफ्तारी में ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- उ0नि0 श्री मारूफ आलम थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- का0 तारा सिंह बघेलथाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2348
दिनांक-22.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को ठाकुरगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ महोदय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र वाद मु0अ0सं0-283/2021 धारा- 415/411/413/420 आईपीसी से सम्बन्धित द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष को 06.45 बजे घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/वारण्टी को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-नाम पता वारण्टी–

राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष।

03-कार्यवाही का विवरण-

वाद सं0-293/23, मु0अ0सं0-283/2021 धारा 415/411/413/420 आईपीसी में माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी की गिरफ्तारी में ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- उ0नि0 श्री मारूफ आलम थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- का0 तारा सिंह बघेलथाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2348
दिनांक-22.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को ठाकुरगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ महोदय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र वाद मु0अ0सं0-283/2021 धारा- 415/411/413/420 आईपीसी से सम्बन्धित द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष को 06.45 बजे घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/वारण्टी को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-नाम पता वारण्टी–

राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप नि0-448/155 नगरिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 23 वर्ष।

03-कार्यवाही का विवरण-

वाद सं0-293/23, मु0अ0सं0-283/2021 धारा 415/411/413/420 आईपीसी में माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं0-02 लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी की गिरफ्तारी में ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- उ0नि0 श्री मारूफ आलम थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- का0 तारा सिंह बघेलथाना ठाकुरगंज लखनऊ।